e-71848/2022

I/71848/2022

E-office File No. 20709/2022

प्रेषक,

डॉ0 आर राजेश कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकि0 स्वा0 एवं चिकि0 शिक्षा अनु0–03 देहरादून : दिनांक 19 अक्टूबर, 2022

विषय–जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में महिला चिकित्सालय परिसर में अतिरिक्त 50 शैय्यायुक्त Mother and Child Care Hospital (MCH) विंग के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–NHM UK/Construction/3/2020-21/3635, दिनांक 02 जनवरी, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में महिला चिकित्सालय परिसर में अतिरिक्त 50 शैय्यायुक्त Mother and Child Care Hospital (MCH) विंग के निर्माण का आगणन, लागत रूपये रू. 1327.05 लाख शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2. प्रश्नगत् कार्य के शासन को उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन लागत रू0 1327.05 लाख के परीक्षणोपरान्त शासन की व्यय वित्त समिति द्वारा सम्यक परीक्षण करते हुये **रू0 1304.42 लाख (सिविल कार्य हेतु रू0 868.16 लाख अधिप्राप्ति कार्य हेतु रू0 436.26 लाख)** पर अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसमें से रू. 1000.00 लाख का वहन भारत सरकार से एन0एच0एम0 के अन्तर्गत अनुमोदित/प्राप्त धनराशि से किया जाना है (90:10) तथा अवशेष धनराशि रू0 304.42 लाख का वहन राज्य सरकार द्वारा अनुदान संख्या–12 में बेस चिकित्सालयों के निर्माण हेतु प्राविधानित सुसंगत लेखाशीर्षक–4210–01–110–23–00 से यथावश्यकता किया जायेगा।

3. अतः शासन की व्यय वित्त समिति द्वारा संस्तुत/अनुमोदित लागत रू0 1304.42 लाख (सिविल कार्य हेतु रू0 868.16 लाख अधिप्राप्ति कार्य हेतु रू0 436.26 लाख) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, एन0एच0एम0 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारत सरकार से Health System Strengthening (HSS) & Other Health System Strengthening Covered under NRHM हेतु प्राप्त धनराशि, जो कि संगत राज्यांश (10%) के साथ सुसंगत लेखाशीर्षक से वित्तीय स्वीकृति के विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा–स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निवर्तन पर रखी गयी है एवं एन0एच0एम0 को उपलब्ध करायी गयी है, से **रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड़ मात्र) {(केन्द्रांश 90% रू0 450.00 लाख + राज्यांश 10% रू0 50.00 लाख)}** की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने की श्री

राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

i. कार्य की मॉनिटरिंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड तथा महानिदेशक, चिकित्सा–स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के स्तर से नियमित रूप से की जाएगी।
ii. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए पूर्ण की जायेंगी तथा विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
iii. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
iv. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्यस्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
v. कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना के डिजाइन एवं ड्राइंग को आई0आई0टी0 या भारत सरकार से अनुमोदित प्रख्यात संस्था से विधिक्षित (VET) कराया जायेगा।
vi. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविधानित कार्यों की स्ट्रक्चरल ड्रांइग एवं डिजाइन सक्षम अधिकारी से अवश्य अनुमोदित करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय आगणन में उन्हीं मदों का समावेश करेंगे, जो अपरिहार्य मदें हैं तथा इसकी सूचना शासन एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
vii. Reinforcement Steel की मात्रा Bar Bending Schedule के आधार पर आंकलित किया जाये तथ बचत के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग को अवगत कराया जायेगा। विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
viii. निर्माण कार्य में स्ट्रक्चरल एवं Reinforcement Steel हेतु शत–प्रतिशत प्राइमरी स्टील का ही प्रयोग किया जाय।
ix. निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट तथा सरिया, स्ट्रक्चरल स्टील एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का निर्माण से पूर्व आई.एस. कोड के अनुरूप समय–समय पर NABL प्रयोगशाला में परीक्षण आवश्यक कराया जाय।
x. इलैक्ट्रीक आईटम्स जैसे–Switches, Wires, MCB, MCCB, AC आदि Pluming Items जैसे Bath Fittings, Geyser, Water Tank, Pips Toilet Items, Wood Items आदि कय Market Survey/डी0एस0आर0 दर के अनुरूप गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर ब्राण्ड नेम निर्धारित कर लिया जाय।
xi. निर्माण कार्य में Dismantling से प्राप्त Scrap के मूल्य को आगणन की लागत में Credit किया जाय।
xii. चिकित्सालय से सम्बन्धित सभी मानकों के अनुरूप भवन का निर्माण सुनिश्चित किया जाय।
xiii. कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित किये जाने हेतु नियोजन विभाग को अवश्य सूचित

कराया जाय।

xiv. मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से विभाग को अवगत करायेंगे।

xv. व्यय वित्त समिति की बैठक के संलग्न कार्यवृत्त दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 के प्रस्तर–4 में उल्लिखित की शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा प्लान, स्ट्रक्चरल डिजाईन एवं विशिष्टियों पर हस्ताक्षर अवश्य किये जायेंगे, ताकि भविष्य में प्लान, डिजाइन या विशिष्टियों में कार्यदायी संस्था या Contractor के स्तर से परिवर्तन कर कार्य की गुणवत्ता प्रभावित की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

xvi. व्यय किए जाने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

xvii. सम्पूर्ण कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (संशोधित नियमावली, 2019) के अनुरूप कराया जाय।

xviii. सुसंगत मद से एन0एच0एम0 को संगत घटक में अवमुक्त धनराशि से मिशन निदेशक द्वारा कार्य की प्रगति के दृष्टिगत से तीन माह की आवश्यकता के अनुसार कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, हल्द्वानी को धनराशि शासन को सूचित करते हुये उपलब्ध करायी जायेगी।

xix. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कार्य पर किये गये व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र GFR-19 पर समय–समय पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

xx. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेश का कड़ाई पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्य के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/ XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जायेगा। कार्य की प्रगति की निरंतर समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में पुनरीक्षण या अन्य किसी नये मद को जोड़ने की आवश्यकता होती हो तो पुनः नियमानुसार व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय का वहन चालू वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक में अनुदान सं0–12 –लेखाशीर्षक–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–मतदेय, 03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 110–अस्पताल तथा औषधालय, 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 0104–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (90:10) मानक मद–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) तथा अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय–01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें–110–अस्पताल तथा औषधालय–23–बेस चिकित्सालय पिथौरागढ़ का निर्माण–56–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

5. यह आदेश वित्त अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन के अ0शा0 संख्या–69742/2022, दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 में प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

Signed by R. Rajesh Kumar
Date: 19-10-2022 17:33:41

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

E-office File No. 20709/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
5. मुख्य चिकित्साधीक्षक, महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल।
7. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, निर्माण इकाई, हल्द्वानी।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
10. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Mahaveer Singh Chauhan
Date: 19-10-2022 17:42:58

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।